न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 74/2014

सायलान :-

1. मंजू पुत्नि रामलाल
2. पायल पुत्री रामलाल
3. मनीषा पुत्री रामलाल

सायलान संख्या 2 व 3
नाबालिग वलिया माता
मंजू पत्नि रामलाल
जातियान-मेघवाल, निवासी-लितरिया,
तह.-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

गै0सा0 :-

1. रामलाल पुत्र मांगीलाल
2. मीठुदेवी पत्नि मांगीलाल
3. उप पंजीयन अधिकारी, कार्यालय, जैतारण
4. खनिज अभियन्ता सोजतसिटी तह.-सोजतसिटी, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.02.05.2014

उपस्थितः- 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 01/07/2015**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली मे सायलान के पति के नाम की पैतृक पुश्तैनी कृषि जमीन खसरा नं. 130 रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा की आई हुई हैं। जिसमे सायला के पति व सास की 25 बीघा 5 बिस्वा जमीन आई हुई है व काश्त कर रही है उक्त सम्पूर्ण भूमि सायला के पति की होकर उनके ससुर मांगीलाल के नाम से थी व उनकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पूर्ण आराजी सायला के पति व उनकी सासु के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई सायला गैरसायल सं. 1 की विवाहित पत्नि है व उनके पारिवारिक संबन्धो से दो पुत्रियो पैदा हुई हैं, जो सायलना संख्या 02 व 03 हैं। गैरसायलना संख्या 01 आदतन शराबी प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो पुश्तैनी जमीन बैच कर सायलान को बर्बाद करने पर तुला हुआ हैं। पूर्व में भी कई बार अपनी पैतृक पुश्तैनी जमीन बेच चुका हैं जबकि उसे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं। कुछ दिनो पूर्व ही गैरसलायान संख्या 1 ने जबरन दो चार व्यक्तियो को बुलाकर सायला को डरा धमका कर खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये व उसके साथ मारपीट कर उसके बच्चो के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया उसके बाद से सायला उसके बच्चो के साथ अपने पीहर मे रह रही है दिनांक 19/04/2014 को थोडी बारिश होने के कारण सायला अपनी इस जमीन पर हल चलाने गई तो गैरसायलान संख्या संख्या 1 शराब के नशे मे आया व सायला को ऐलानिया धमकी दी कि इस जमीन को सायला को नही बोने देगा व किसी ताकतवार व्यक्ति को खनन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देगा व गैरसायलान संख्या 4 के वहां भूमि खनन करने हुते आदेश करवा देगा अथवा गैरसायलान संख्या 3 के समक्ष उक्त कृषि भूमि का किसी अन्य को बैचान कर देगा व साथ ही गैरसायलान संख्या 1 ने यह भी ऐलानिया धमकि दी कि जिस खाली कागज पर तेरे हस्ताक्षर करवाये थे उस पर मैने तलाक नामा लिख दिया हैं। जबकि यह दस्तावेज कानूनन मानने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नही हैं। जबकि यह मात्र साधन है सायला व गैरसायलान संख्या 1 के बीच पति पत्नि के कोई संबंध विच्छेद नही हुये सायलान संख्या दो व तीन गैरसायलान संख्या एक की वैधानिक संताने हैं। यदि गैरसायलान संख्या एक व दो उक्त जमीन हेतु किसी अन्य को दे देते हैं, तो सायलान के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी गैरसायलान उक्त सम्पति को केवल भोग कर सकते हैं। गैरसायलान को उक्त जमीन बैचान हस्तान्तरण रहन बख्शीश करने को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं। यदि गैरसायलान ऐसा कर लेते हैं, तो सायलान के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। सायलान निर्बल महिला व नाबालिग बच्चे हैं। जिनको उक्त भूमि की रक्षा करने के लिये श्रीमान के समक्ष शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही हैं। इसलिए सायलान के लिये जीवन यापन हेतु उक्त जमीन एक मात्र सहारा हैं। गैरसायलान संख्या एक व दो की स्वअर्जित सम्पति न होकर गैरसायलान की पैतृक सम्पति हैं, जिनके प्रथम श्रेणी के वारिसान सायलान ही है जिन्है उक्त कृषि भूमि अपने दादा के बाद अपने पिता व पिता से उन्हे मिली हैं, जो उनकी पैतृक सम्पति हैं, जिसे बेचान करने का गैरसायलान संख्या 1 व 2 को बैचान करने का कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नही हैं। उन्हे ऐसा करने से रोकने के लिये उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी के समक्ष पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जिसे सामिल मूल वाद किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। वकील गै0सा0 संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब दिनांक 24/06/2014 को पेश किया गया। गै0सा0 संख्या 3 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02/05/2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायलान के पति के नाम की पैतृक पुश्तैनी व कब्जे काश्त की उक्त विवादित भूमि की वर्तमान मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली मे सायलान के पति के नाम की पैतृक पुश्तैनी कृषि जमीन खसरा नं. 130 रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा भूमि में सायलान के हिस्से की भूमि की रेकर्ड मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 02/04/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner